

कार्यालय-झारखण्ड शिक्षा परियोजना, देवघर

(समग्र शिक्षा अभियान)

मध्य विद्यालय पुराना मीना बाजार, कैम्पस, देवघर-814112

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना।

विभागीय आदेश संख्या पत्रांक:-GE/08/163/2022-23./2835 रॉची दिनांक-03.11.2022 के आलोक में देवघर जिला में संचालित आठ 8 कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अहर्ताधार महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के रिक्त पदों पर विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 30.11.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक निबधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान, देवघर में आमंत्रित किए जाते हैं:-

Sl.no	Name of post	Vacancy	Roster					Total
			UR	BC-I	BC-II	SC	ST	
1	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-भाषा	3	2	-	-	1	-	3
2	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-गणित	5	2	1	-	1	1	5
3	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-विज्ञान	4	3	-	-	1	-	4
4	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-सा0 विज्ञान	0	-	-	-	-	-	0
5	पूर्णकालिक शिक्षिका (महिला)-शांरीरिक शिक्षा	3	1	1	-	1	-	3
6	पूर्णकालिक(महिला)-लेखापाल-सह-कम्प्युटर ऑपरेटर	1	1	-	-	-	-	1
		16	9	2	-	4	1	16

- उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र जिले को जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र में निबधित डाक द्वारा जिला कार्यालय / समग्र शिक्षा अभियान (SSA) में अनिवार्य रूप से दिनांक 30.11.2022 तक जमा करने सुनिश्चित करें। साधारण डाक से भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- चयन हेतु अहर्ता एवं निर्धारित परिलब्धि-

क्र0	पद/विषय	वांछित अर्हता	देय परिलब्धि
1	भाषा शिक्षिका (हिन्दी/अंग्रेजी)	1. शैक्षणिक अहर्ता :- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्व विद्यालय से संबंधित विषय (भाषा, गणित एवं विज्ञान) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के साथ स्नातक की अहर्ता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जन जाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जायेगी। झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडिएट या 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मात्र वैसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता विचारणीय होगी जो मैट्रिक या 10वीं कक्षा भी झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण हो तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट /10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।	1. शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 15840/- प्रतिमाह देय होगी। तीन वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50 प्रतिशत की वृद्धि देय होगी। 2. संविदा विस्तार की स्थिति में रु. 250 वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जायेगी।
2	गणित शिक्षिका		
3	विज्ञान शिक्षिका	2. प्रशैक्षणिक अहर्ता :- मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बी0एड0 अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण में	

Am

31

MB

		उत्तीर्णता। शारीरिक शिक्षिका के लिए Bachelor in Physical Education/Degree in physical education अनिवार्य होगा। 3. शिक्षक पात्रता परीक्षा :- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखण्ड सरकार द्वारा कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। शारीरिक शिक्षिका हेतु TET अनिवार्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा TET की वैधता आजीवन मान्य किया गया है।	
5	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपररेटर	1. किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान/ विश्वविद्यालय से बी.कॉम प्रतिष्ठा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता। अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इण्टर की परीक्षा झारखण्ड से पास किया होना अनिवार्य होगा। 2. तकनीकी अहर्ता: किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से एक वर्षीय कम्प्यूटर कोर्स में पी.जी.डी.सी.ए./डी.सी.ए./समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता। 3. कार्य अनुभव :- हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर टाईपिंग के साथ टैली साफ्टवेयर (Tally Software) की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। 4. चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे।	1. संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रु. 9900/- प्रतिमाह देय होगी। 2. प्रत्येक एक वर्ष के संतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा। 3. तीन वर्षों तक संतोषप्रद कार्य किए जाने के पश्चात् नियत मानदेय में 50 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रु. की वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।

चयन संबंधी दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें निम्नवत् हैं:-

- चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जायेंगे। पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- चयनित होने वाले शिक्षिका/शिक्षकत्तर कर्मियों की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार संतोषप्रद होने की स्थिति में एक-एक वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा।
- सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।
- आयु सीमा :-
i. चयन हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 35 वर्ष होगी परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के ज्ञापक संख्या 29 दिनांक 04.01.2021 झारखण्ड सरकार के आलोक में निम्नवत् होगी :-

Sl.	Category	Maximum Age Limit
1	Unreserved Category	35
2	Female (UR/EWS/BC-1/BC-2)	38
3	Extremely Backward Classes (Annexure 1) Backward Classes (Annexure 2)	37
4	SC/ST (Male and Female)	40
5	Person with bench mark disability (PWBD)	A relaxation of 10 Years in their respective category.

- अनुभवी महिला Ex-serviceman को अपनी कोटि में 5 वर्ष तक उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में छुट दी जायेगी।
 - उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।
- आवेदन :- सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्नकों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 30.11.2022 के संध्या 05:00 बजे तक जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान (SSA) देवघर के कार्यालय में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही स्वीकार किए जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्रों पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।
 - प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अहर्ता, कोटिवार रिक्तियों की स्थिति तथा आवेदन हेतु विहित प्रपत्र एवं अन्य दिशा-निर्देश NIC के अधिकारिक वेबसाईट deoghar.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से संबंधित सभी दिशा-निर्देश उपरोक्त वर्णित वेबसाईट पर उपलब्ध रहेंगे तथा अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि समय-समय पर जानकारी हेतु वेबसाईट का अवलोकन करते रहेंगे।
 - आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक :-
i. 23 X 10 से.मी. का स्व:पता लिखा हुआ दो लिफाफा।
ii. सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षक पात्रता तथा अन्य स्व:अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए।
iii. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु जाति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत) स्व:अभिप्रमाणित छाया प्रति।

- iv. झारखण्ड राज्य के सक्षक प्राधिकार द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण-पत्र की स्व:अभिप्रमाणित छाया प्रति।
8. कस्तुरबा गौधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा।
 9. अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जायेगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जायेगा।
 10. अपरिहार्य कारणों से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित/रदद करने का अधिकार उपायुक्त-सह-अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी, देवघर को सुरक्षित रहेगा।
 11. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के उपर लाल रंग से मोटे अक्षर से आवेदति पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे।
 12. अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरीत आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अनुलग्नक - आवेदन का विहित प्रपत्र।

Am
जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

MR/14/11/2022
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

ज्ञापांक... *SSA/11/62* देवघर, दिनांक... *15.11.* 2022

प्रतिलिपि : लेखा पदाधिकारी, झा0शि0प0, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। कृपया किन्हीं तीन दैनिक समाचार पर में DAVP दर पर विज्ञापन प्रकाशित कराने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC देवघर को जिले के अधिकारिक वेबसाईट deoghar.nic.in पर विज्ञापन अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य परियोजना निदेशक, झा0शि0प0प0, रांची की सेवा में सूचनार्थ सादर समर्पित।

Am
जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

MR/14/11/2022
उपायुक्त-सह-अध्यक्ष
समग्र शिक्षा अभियान, देवघर।

